

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्र.क.: 688 / 2014
संस्थित दि: 25 / 07 / 14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

- (01) दुरपसिंह पिता धीरसिंह कुडापे, उम्र 28 साल, जाति गोंड,
निवासी खर्रा थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- (02) मूलचंद पिता मंशाराम ठाकरे, उम्र 48 साल, जाति पंवार,
निवासी खर्रा थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.) आरोपीगण

--:: निर्णय ::--

(आज दिनांक 27 / 08 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी दुरपसिंह पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 134(क)/187 एवं आरोपी मूलचंद पर मोटरयान अधिनियम की धारा 3/180 के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी दुरपसिंह ने 11.07.2014 को शाम के 06:25 बजे ग्राम खापा मेन रोड़ थाना परसवाड़ा अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.22/ए.ए.0639 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं मोहम्मद तलत को टक्कर मारकर उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस के चलाया व उक्त वाहन का भारसाधक या चालक होते हुए दुर्घटना के पश्चात् उक्त वाहन को छोड़कर भाग गये एवं आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न करवाकर तथा उक्त के संबंध में पुलिस थाने में यथाशीघ्र 24 घण्टे के भीतर सूचना नहीं दी तथा आरोपी मूलचंद ने यह जानते हुए कि वाहन चालक दुरपसिंह के पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं है फिर भी उक्त वाहन चलाने हेतु उसे दिया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मोहम्मद तलत ने दिनांक 11.07.2014 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम परसवाड़ा में रहता है तथा साड़ी चादर बेचने का धन्धा करता है। दिनांक 11.07.2014 को शाम के 06:25 बजे वह खापा से परसवाड़ा साइकिल से जा रहा था किसी ट्रैक्टर चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक ट्रैक्टर चलाकर उसकी साइकिल को पीछे तरफ से टक्कर मार दी फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 97/14 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी से उक्त ट्रैक्टर जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर एवं आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 1/191, 134(क)/187, 5/180 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(03) आरोपी दुरपसिंह को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 134(क)/187 एवं आरोपी मूलचंद को मोटरयान अधिनियम की 5/180 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर पढकर सुनाई व समझाई गई।

(04) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(1) क्या आरोपी दुरपसिंह ने दिनांक 11.07.2014 को शाम के 06:25 बजे ग्राम खापा मेन रोड़ थाना परसवाड़ा अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.22/ए.ए.0639 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

(2) क्या आरोपी दुरपसिंह ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.22/ए.ए.0639 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोहम्मद तलत को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?

(3) क्या आरोपी दुरपसिंह इसी दिनांक समय एवं स्थान पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.22/ए.ए.0639 को बिना बैध लायसेंस के चलाते हुए पाया गया ?

(4) क्या आरोपी दुरपसिंह ने इसी दिनांक समय एवं स्थान पर ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.22/ए.ए.0639 का भारसाधक या चालक होते हुए दुर्घटना के पश्चात् उक्त वाहन को छोड़कर भाग गये एवं आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न करवाकर तथा उक्त के संबंध में पुलिस थाने में यथाशीघ्र 24 घण्टे के भीतर सूचना नहीं दी ?

(5) क्या आरोपी मूलचंद ने इसी दिनांक समय एवं स्थान पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.22/ए.ए.0639 को यह जानते हुए कि वाहन चालक दुरपसिंह के पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं है फिर भी उक्त वाहन चलाने हेतु उसे दिया ?

—:: सकारण – निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3, 4, एवं 5 :-

(05) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(06) आरोपी दुरपसिंह को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 134(क)/187 एवं आरोपी मूलचंद को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया।

(07) आरोपी दुरपसिंह के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 134(क)/187 एवं आरोपी मूलचंद को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी दुरपसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 134(क)/187 एवं आरोपी मूलचंद को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है ।

(08) अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः आरोपीगण का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपीगण के द्वारा अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपीगण को परीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

(09) आरोपी दुरपसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप में 1000/- (एक हजार) रुपये 337 के आरोप में 500/- (पांच सौ) रुपये एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के आरोप में 500/- (पांच सौ), 134(क)/187 के आरोप में 500/- (पांच सौ) रुपये तथा आरोपी मूलचंद ठाकरे को 5/180 के आरोप में 1000/- (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड राशि अदा न किए जाने पर आरोपीगण को एक-एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(10) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.22/ए.ए.0639 मय ट्राली एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। अपील अवधि पश्चात् सुपुर्दगीनामा भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला, बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट